DEVABN-JNROEST(MISW)/119/2025-EXN-JNR-ABN

1739372872025

कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांकं- 3032 ई-आफिस / JJM / 2025-26 334 दिनाँक- 25/08/2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-19/08/2025 को जिलाधिकारी महोदय के अध्यक्षता में मुख्य विकास अधिकारी, DPRO के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला सभागार में की गयी। जिसमें अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ सभी AE/JE जल निगम ग्रामीण, DPMU व दोनों फर्म वेलस्पन,VTL, TPIA के कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा उपस्थिति अधिकारियों, कर्मचारियों एवं VTL एवं वेलस्पन के प्रो0 मैनेजर को निम्न निर्देश दिये गये-

1. यह कि O&M हेतु प्रेषित योजना रामनगर नरसिंहपुर जिसमें निजी भूमि से पाइप लाइन डालने के विवाद होने के कारण जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय से वापस किया गया है। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि O&M के विवरण पत्र में उक्त विवाद को छोड़कर सम्पूर्ण ग्राम सभा के समस्त परिवार को गृह संयोजन से संतृप्त कर दिया जाय ताकि O&M हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

2. यह कि अधिशाषी अभियंता जल निगम ग्रामीण द्वारा अवगत कराया गया कि O&M की 35 पेयजल परियोजनाओं में से 26 पेयजल परियोजनाओं का विवरण पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय को प्रेषित कर दिया गया है। निर्देशित किया जाता है कि शेष पेयजल परियोजनाओं का विवरण पत्र यथाशीघ्र तैयार जिला पंचायत राज अधिकारी के कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाए।

3. यह कि जल जीवन मिशन हेल्प लाइन नंबर से प्राप्त शिकायत कि ग्राम सभा सतरही(ब्लॉक अकबरपुर)में लीकेज की समस्या होने के कारण जलापूर्तिका न होना, ग्राम सभा सुल्तानपुर (ब्लॉक अकबरपुर) में शिकायत की गयी कि पाइपलाइन डालने से सड़क बैठ गयी है का निस्तारण बिना शिकायतकर्ता से वार्ता किये शिकायत को बंद कर दिया जाना, ग्राम सभा सोनहन(ब्लाक बसखारी) में कनेक्शन न किया जाना तथा ग्राम सभा निमटिनी(ब्लॉक भियाँव) में पम्प ऑपरेटर का 2 माह का वेतन न दिया जाना आदि गहरी नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देशित किया गया कि सभी ब्लॉक के JE एवं दोनों फर्मों के प्रोजेक्ट मैनेजर यह सुनिश्चित करें कि जल जीवन मिशन हेल्पलाइन नंबर से एवं IGRS पोर्टल से प्राप्त सम्पूर्ण शिकायतों का जनता से 2-3 बार वार्ता करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण एक सप्ताह के अंदर किया जाना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त दोनो फर्म के प्रोजेक्ट मैनेजर सभी जलापूर्ति की जाने वाली योजनाओं में पम्प ऑपरेटर का मानदेय ससमय दिया जाना सुनिश्चित करें तथा पोर्टल पर गलत फीडबैक न अपडेट करें अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 23-08-2025
15:25:53

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।
6. समस्त सहायक अभियन्ता / जू0इ0 को इस निर्देश के साथ कि दिये गये निर्देशो का अक्षरसः प्रतिपालन करें।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

1-GV